



## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)  
शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ  
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 02 —अ0प्र0(2ब) / पा०का०लि० / 2016—99020

दिनांक: 07 जनवरी, 2016

### कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा—3(7) तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम—2007 द्वारा निविष्ट नियम—8(क) को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 में ultra vires घोषित किये जाने के फलस्वरूप, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या—8/4/1 /2002 टी0सी0—1—का—2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं0—60—विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत, निम्नांकित स्तम्भ—2 में उल्लिखित कार्मिक को आरक्षण की धारा—3(7) का लाभ प्रदान कर स्तम्भ—3 में उल्लिखित पद पर की गयी प्रोन्नतियों को निरस्त करते हुए, उन्हें एतदद्वारा स्तम्भ—04 में उल्लिखित पद पर भूतलक्षीय प्रभाव से पदावनत किया जाता है एवं तत्क्रम में उनके पोषक वर्ग की एकल ज्येष्ठता सूची के आधार पर स्तम्भ—05 में उल्लिखित पद पर उसके नीचे अंकित तिथि से विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुरूप चयनित करते हुए, तदानुसार प्रोन्नत कर स्तम्भ सं0—6 में उल्लिखित निगम/इकाई में आबण्टित/तैनात किया जाता है :—

क्रम सं0	नाम/अभिज्ञान सं0/गूह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि/संवर्ग/वर्तमान पदनाम एवं तैनाती निगम	दिनांक 15.11.97 के उपरान्त धारा 3(7) के माध्यम से प्राप्त की गयी प्रोन्नति के निरस्तीकरण के उपरान्त धारित पद का नाम	धारा 3(7) के माध्यम से प्राप्त की गयी प्रोन्नति के निरस्तीकरण के उपरान्त धारित पद का नाम	एकल वरिष्ठता के आधार पर प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम/पुनर्व्यस्थित प्रोन्नति की तिथि	अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् आबण्टित निगम/तैनाती का कार्यालय/स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री रविन्द्र सिंह (अनु0जा०) 99020 / हरिद्वार 31.01.2034 / वै०एवंया० सहायक अभियन्ता, सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।	अधिशासी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता 21.04.2013	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा। (का०ज्ञा०सं03601—अ0प्र0(2ब) दिनांक 07.10.2015 के क्रमांक 11 द्वारा निर्गत आदेशों के आंशिक संशोधन में)

उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदानुसार इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

### प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 02—अ0प्र0(2ब) / पा०का०लि० / 2016 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—
- 1— मा० ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
  - 2— अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0पा०का०लि० / उ0प्र0पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
  - 3— प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त कार्मिक को मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या—79 / 1997 में दिनांक 21.03.2007 को पारित अन्तिम निर्णय में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप शासन द्वारा गठित द्विसदस्यीय समिति का यथावृच्छित अनुमोदन प्राप्त कर, उक्त कार्मिक की पुनः तैनाती करना सुनिश्चित करें।
  - 4— उक्त के अतिरिक्त, मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका संख्या—414 / 2015 में दिनांक 20.08.2015 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में सम्बन्धित निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कार्मिक को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जाएगा।
  - 5— समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0पा०का०लि० / उ0प्र0पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

- 5— समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) / मुख्य महा प्रबन्धक / महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रोका0लि0।
- 6— समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं0-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्रविधानों के अनुरूप उक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- 8— उप सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

आज्ञा से,  
  
(सदानन्द)  
उप सचिव